

**न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)**

पीठासीन अधिकारी - श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 42/2023

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये ग्राम विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बुटाटी, पंचायत समिति डेगाना, तहसील सांजू जिला नागौर।

- 1 भंवरलाल पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी ग्राम बुटाटी तहसील सांजू जिला नागौर
- 2 बीजाराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी ग्राम बुटाटी तहसील सांजू जिला नागौर।
- 3 गोगाराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी ग्राम बुटाटी तहसील सांजू जिला नागौर।
- 4 हडमानराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी ग्राम बुटाटी तहसील सांजू जिला नागौर।
- 5 पप्पूराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी ग्राम बुटाटी तहसील सांजू जिला नागौर।
- 6 बाउदेवी पुत्री मंगलाराम पत्नी मदनलाल जाति नायक निवासी ग्राम कालवी तहसील जायल जिला नागौर।
- 7 छोटीदेवी पुत्री मंगलाराम पत्नी सुलाराम जाति नायक निवासी ग्राम आकेली बी तहसील सांजू जिला नागौर।
- 8 छोगाराम पुत्र ओमाराम जाति नायक निवासी ग्राम सोलियाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर।
- 9 तिलोकराम पुत्र ओमाराम जाति नायक निवासी ग्राम सोलियाणा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
- 10 बालाराम पुत्र ओमाराम जाति नायक निवासी ग्राम सोलियाणा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति-

- 1 श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994**

**निर्णय**

दिनांक 23.06.2025

1- प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा पट्टा संख्या 35, मिसल संख्या 46/14.02.1974 के द्वारा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.07.23 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 13.07.23 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत बुटाटी की पट्टा संख्या 35 की फोटोप्रति अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र क्रमांक 35 दिनांक 23.08.24 के द्वारा रिकोर्ड उपलब्ध होना नहीं बताया गया।

2- प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि -

2(1)- पट्टा जैर निगरानी विधि व तथ्यों के विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)-उपरोक्त पट्टा वाली जायगा वास्तविकता में आबादी भूमि में न होकर मौजा बुटाटी के खसरा नम्बर 253 गैर मुमकिन चारागाह पर स्थित है तथा उक्त पट्टा ग्राम पंचायत बुटाटी को धोखे में रखकर गलत व मिथ्यापूर्ण दस्तावेज व नक्शा पेश करते हुए प्राप्त किया गया है।

2(3)-उपरोक्त पट्टे बाबत वर्तमान में ग्राम पंचायत बुटाटी में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं हैं, जिससे भी यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा फर्जी व मिलावटी तरीके से प्राप्त किया गया है तथा पट्टा जारी करवाते समय ग्राम पंचायत बुटाटी के तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक को धोखे में रखते हुए तथा उनके समक्ष गलत दस्तावेज पेश करते हुए जारी करवाया गया है। ग्राम पंचायत को उक्त गैर मुमकिन गोचर व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं होने तथा अधिकारातीत व क्षेत्राधिकार से परे जाकर पट्टा जारी किये जाने से ऐसा पट्टा दस्तावेज प्रारम्भ से ही अवैध शून्य व प्रभाव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

**अपर कलक्टर, नागौर**

2(4)- पट्टा जेर निगरानी पंचायत एक्ट व पंचायती राज नियम 1996 के कायदो की अवहेलना करते हुए जारी किया गया हैं, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(5)- आबादी भूमि जिसमें मकान बना हुआ नहीं हैं, का अंतरण नीलामी के जरिये किया जाने का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 143 के अनुसार किया जाता है तथा जो व्यक्ति खरीदने का विचार रखता हैं, उसको आवेदन पत्र मय नक्शा 25 रूपये निरीक्षण के पंचायत में पेश करना होता है। नक्शा पेश नहीं किया जाता है तो नक्शा तैयार करने हेतु 25 रूपया जमा करना होता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उक्त भूमि का पंचो की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाकर सम्पूर्ण विवरण सहित राय पंचायत के समक्ष किया जाना वांछित होता हैं, उसे बाद पंचायत अपनी बैठक में यह तय करती है कि उक्त जमीन विक्रय की जावे या नहीं। यदि पंचायत की बैठक में यह तय होता है कि उक्त जमीन विक्रय किया जावे तो आम जनता से एक माह में आपतियों आहूत करने के लिए नोटिस जारी किया जाकर आपतियों का निस्तारण कर नीलामी की तारीख तय कर नीलामी का समय तारीख स्थान कर डूडी पीटवाकर नीलामी की नोटिस की सूचना देकर नीलाम की जावेगी। ऐसी कोई कार्यवाही पट्टा जेर निगरानी जारी करने से पूर्व नहीं की गई हैं, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)- कमजोर वर्गों के लिए आबादी भूमि आवंटन का भी राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 में प्रावधान हैं, जिसमें अधिकतम 150 वर्गगज तक ही भूमि आवंटित की जा सकेगी एवं 1000 से कम आबादी वाले गांव में 2 रूपया प्रतिमीटर 1000 से 2000 तब आबादी वाले गांव में 5 रूपया प्रति मीटर, 2000 से अधिक आबादी वाले गांव में 10 रूपया प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि देने का प्रावधान है। परन्तु पट्टा जेर निगरानी जारी करने के क्रम में ऐसी कोई राशि क्रेता/आवटी से प्राप्त नहीं की गई हैं, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(7)- निःशुल्क आवंटन का अधिकार मात्र राज्य सरकार में निहित करता हैं, वो भी कुछ श्रेणी के लोगों को निःशुल्क आवंटन का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत के पास निःशुल्क आवंटन या पट्टा के जरिये अंतरण का अधिकार पंचायत एक्ट या पंचायत नियमों में नहीं हैं, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(8)- ग्राम पंचायत निःशुल्क आवंटन या पट्टा के जरिये आबादी भूमि अंतरण का अधिकार नहीं रखती है। कमजोर वर्गों को 150 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल की भूमि ग्राम पंचायत रियासती दरों पर आवंटन नहीं कर सकती। पट्टा जेर निगरानी अधिक भूमि का है, जो बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त होने योग्य है।

2(9)- आबादी भूमि का विक्रय या आवंटन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव लेने के बाद ही भूमि का आवंटन या पट्टा नियमों के अनुसार नीलामी या रियासती दर से दिया जाना वांछित होता है। पट्टा जेर निगरानी के बाबत पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया गया, न ही मौका देखने की रिपोर्ट है। न ही मौका रिपोर्ट के बाद पंचायत द्वारा वादग्रस्त पट्टे वाली भूमि विक्रय या आवंटन करने बाबत कोई प्रस्ताव या स्वीकृति भी नहीं हैं, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की तारीफ में नहीं हैं, कागजी व फर्जी मात्र सरपंच ने हस्ताक्षर कर जारी किया हैं, जो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(10)- पट्टा जेर निगरानी के जरिये जो भूमि पट्टाधारी को दी गई हैं, वह राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 का नियम 161 (घ) का उल्लंघन करते हुए दिया गया है। जिला सडक या ग्राम सडक के मध्य बिन्दु से 50 फुट की दूरी के भीतर की भूमि का पट्टा जारी करने का स्पष्ट रूप से मनाही हैं, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(11)- ग्राम पंचायत का पट्टाधारक के नाम जारी किया गया पुनरीक्षणाधीन पट्टा अवैध, अनाधिकृत, विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

2(12)- पट्टा जारी करने से पहले किसी प्रकार की आपति विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, न मौका निरीक्षण किया गया और न ही राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम 141 से नियम 160 की कोई पालना नहीं की गई, जबकि इन नियमों की पालना करना आज्ञापक तथा अनिवार्य था, इसलिए भी पुनरीक्षणाधीन पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

2(13)- इस सम्पति का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें इस जायगा का बडेर की पुश्तैनी जायगा पीढियों से कब्जासुद होना बताकर आवेदन किया था, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि यह सम्पति कभी भी बडेर की पैतृक सम्पति नहीं रही है, इस प्रकार पट्टाधारक ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर झुठे तथ्यों तथा झुठे कथनों पर पट्टा प्राप्त किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

23/6/22  
बन्धु बालवन्धु, पट्टा

2(14)- पट्टा कानूनी तथा विहित प्रक्रिया अपनाये बगैर जारी किया गया है, इसलिए भी पट्टा खारिज होने योग्य है।

2(15)-पट्टा जेर निगरानी विधि व तथ्यों के विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(16)-पट्टा जेर निगरानी पंचायत एक्ट व पंचायत राज नियम 1996 के कायदों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(17)-आबादी भूमि में पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि 50 वर्ष से अधिक पूर्व में निर्मित मकानों हेतु जारी किया गया है जबकि उक्त पट्टे में पट्टाधारक वक्त पट्टा जारी करने इस योग्य आयु को प्राप्त ही नहीं था, इससे प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमों के विरुद्ध जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व न तो मौका निरीक्षण किया गया तथा ना ही नाम चौप किया।

2(18)-राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों का विनियमितीकरण द्वारा पट्टे जारी किये जाते हैं, उक्त पट्टाधारक ने पंचायत को धोखे में रखकर 50 वर्ष से ज्यादा पुराना गलत बताकर तथा गलत जगह का पट्टा बनाया है, जो पट्टा जेर निगरानी विधि व तथ्यों के विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(19)-ग्राम पंचायत बुटाटी के तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व न तो भूमि का मौका देखा गया एवं मौके पर निर्मित भाग बाबत किसी प्रकार के स्वामित्व की न तो जानकारी पक्षकारों से प्राप्त की एवं उक्त मकान में वर्तमान में कौन कौन काबिज है और निवास कर रहे हैं, इस बाबत किसी प्रकार की जानकारी संबंधित वार्ड के पंचों से प्राप्त की एवं न ही मौके पर जाकर स्वतंत्र गवाहों से इस बाबत जानकारी प्राप्त की। अगर मजमा ए आम में इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती तो स्वतः ही प्रकट हो जाता। मगर ग्राम पंचायत बुटाटी के तत्कालीन उक्त अधिकारियों ने इस संबंध में बिना जांच किये ही पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। इस कारण पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(20)-रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट द्वितीय के नियम संख्या 30 में प्रतिपादित है कि किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जब उपलब्ध नहीं हो पाये, तो पक्षकार द्वारा ऐसे दस्तावेज को चुनौतीग्रस्त करने की दशा में उसकी फोटोप्रति को ही असल उपधारित कर प्रदर्शित करवाया व चुनौती देकर निरस्त कराया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में चुनौतीग्रस्त पट्टा असल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, किन्तु रेवेन्यू कोर्ट के उपरोक्त मैन्यूअल मुताबिक फोटोप्रति प्रस्तुत कर पट्टा को चुनौती दी गई। जिस असल के रूप में उपधारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

3- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा पट्टा संख्या 35, मिसल संख्या 46/14.02.1974 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत बुटाटी से मूल रेकॉर्ड तलब किया गया जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक 35 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। रेकॉर्ड के अभाव में नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुसार आपतियां आमंत्रित कर मौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया हो। क्योंकि मूल पट्टा व पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा गैर मुमकिन चारागाह पर जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा मंगलाराम पुत्र जेटाराम के हक में जारी पट्टा संख्या 35 दायर दिनांक दिनांक 14.02.1974 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

5- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)

अपर कलक्टर, नागौर  
अपर कलक्टर, नागौर